छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)

प्रधान कार्यालय–व्ही.आई.पी. (एयरपोर्ट) रोड, ऊर्जा पार्क के पास, ग्राम–फुण्डहर, रायपुर (छ.ग.)
डब्ल्यू.एल.एल . नं. 8370009925 / 27, ई–मेल: info@creda.in, वेबसाईट: http://creda.cgstate.gov.in

क्रमांक– 19762/क्रेडा/बायोगैस/आर.ई.–1/18–19 रायपुर, दिनांकः 13.11.2018

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)
क्षेत्रीय कार्यालय–रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/रायगढ़/
राजनांदगांव/धमतरी/जगदलपुर/दंतेवाड़ा ।

विषय– "नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम" (NNBOMP) अंतर्गत् वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश ।

उपरोक्त विषयांतर्गत् लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में "नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम" (NNBOMP) के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

कृपया दिशा–निर्देश के अनुरूप वर्ष 2018–19 में निर्धारित किये गये लक्ष्य की शत्–प्रतिशत् उपलब्धि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

13/11/18
(एस.एम. देशपांडे)
मुख्य अभियंता, क्रेडा

क्रमांक–19763/क्रेडा/बायोगैस/आर.ई.–1/18–19 रायपुर, दिनांकः 13.11.2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता (प्रशासन), क्रेडा, प्रधान कार्यालय–रायपुर को सूचनार्थ ।
2. नियंत्रक वित्त एवं लेखा, क्रेडा, प्रधान कार्यालय–रायपुर को सूचनार्थ ।
3. अधीक्षण अभियंता, क्रेडा, जोनल कार्यालय–रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/जगदलपुर/सरगुजा को सूचनार्थ ।
4. सहायक लेखाधिकारी, क्रेडा, क्षेत्रीय कार्यालय–रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/रायगढ़/राजनांदगांव/धमतरी/जगदलपुर/दंतेवाड़ा को सूचनार्थ ।
5. सहायक अभियंता/जिला प्रभारी, क्रेडा, जिला कार्यालय–.............................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

13/11/18
मुख्य अभियंता, क्रेडा

Scanned by CamScanner

"नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम" (NNBOMP) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश

"नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम" (NNBOMP) एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह बीस सूत्रीय कार्यक्रम होने के साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी शामिल है। उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाता है। उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के MNRE एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रति संयंत्र आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। घरेलू बायोगैस संयंत्र से साफ, स्वच्छ ईंधन एवं उत्तम गुणवत्ता के खाद की प्राप्ति होती है ।

02 घनमीटर बायोगैस संयंत्र से अनुमानित बचत :–

बायोगैस संयंत्र से प्रति माह 1½ नग एल.पी.जी. गैस के समान स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति होती है, इस तरह एक वर्ष में 18 नग गैस सिलैंडर के बराबर ईंधन की प्राप्ति होती है ।

वर्ष में गैस से अनुमानित बचत राशि – 18 नग × ₹430 = **₹ 7740 प्रतिवर्ष**

- बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 25 किलोग्राम जैविक खाद की प्राप्ति होती है। इस तरह 01 माह में 750 किलोग्राम तथा वर्ष में 9,000 किलोग्राम खाद की प्राप्ति होती है।
  वर्ष में खाद से अनुमानित बचत राशि - 9000×5 = **₹ 45000 प्रतिवर्ष**
  इस प्रकार वर्ष में कुल बचत राशि (गैस, खाद) = ₹ 52740 प्रतिवर्ष
- **पे बैक पिरीयड** = लागत / बचत X 12 = 28,233 / 52740 X 12 = **लगभग सात माह**

(1) वार्षिक लक्ष्य:–

MNRE द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु वार्षिक लक्ष्य कुल 3000 नग संयंत्र आबंटित किया गया है । लक्ष्य की शत्–प्रतिशत् उपलब्धि अनिवार्य है । लक्ष्य का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्री–फेब्रिकेटेड बायोगैस संयंत्रों से पूर्ति किया जाना है।

प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक लक्ष्य का जिलेवार आबंटन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

जोनल कार्यालय का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम	पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों का लक्ष्य (02 से 06 घ.मी. तक)
रायपुर	रायपुर (500)	रायपुर	50
		बलौदाबाजार	200
		महासमुंद	200
		गरियाबंद	50
दुर्ग	धमतरी (500)	धमतरी	300
		बालोद	50
		कांकेर	150
	राजनांदगांव (100)	दुर्ग	25
		बेमेतरा	25
		राजनांदगांव	25
		कवर्धा	25

Scanned by CamScanner

बिलासपुर	बिलासपुर (400)	बिलासपुर	200
		मुंगेली	50
		कोरबा	150
	रायगढ़ (500)	रायगढ़	300
		जांजगीर–चांपा	150
		जशपुर	50
सरगुजा	सरगुजा (500)	सरगुजा	200
		बलरामपुर	50
		सूरजपुर	200
		कोरिया	50
जगदलपुर	जगदलपुर (400)	बस्तर	50
		कोण्डागांव	300
		नारायणपुर	50
	दन्तेवाड़ा (100)	दन्तेवाड़ा	50
		सुकमा	25
		बीजापुर	25
योग			3000

प्रधान कार्यालय द्वारा समस्त जिलों का वार्षिक लक्ष्य के अनुसार त्रैमासिक लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

त्रैमास	माह	प्रतिशत
प्रथम	अप्रैल से जून	–
द्वितीय	जुलाई से सितंबर	40 प्रतिशत
तृतीय	अक्टूबर से दिसंबर	
चतुर्थ	जनवरी से मार्च	60 प्रतिशत

नोटः– प्रदायित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत् उपलब्धि अनिवार्य है तथा लक्ष्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्री–फेब्रिकेटेड बायोगैस संयंत्र होना अनिवार्य है ।

(2) अनुदान एंव बजट :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु MNRE द्वारा 02 से 06 घनमीटर परिवार मूलक बायोगैस संयंत्र के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता/अनुदान–सामान्य वर्ग हेतु राशि ₹ 12000/– प्रति संयंत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु राशि ₹ 13000/– प्रति संयंत्र की दर से निर्धारित किया गया है तथा राज्य अनुदान–समस्त वर्गो हेतु राशि ₹ 9000/– प्रति संयंत्र की दर से देय होगा । इस तरह सामान्य/पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु कुल अनुदान राशि ₹ 21,000/– एवं अजा/अजजा हेतु कुल अनुदान राशि ₹ 22,000/– की दर से आगामी आदेश तक देय होगा।

Scanned by CamScanner

(3) कार्यक्रम का सुचारू क्रियान्वयन :–

(अ) **दीनबंधु बायोगैस संयंत्र** :– इस मॉडल के संयंत्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्व वर्षों की तरह रहेगी, जिसमें हितग्राही को देय अनुदान के विरूद्ध हितग्राही द्वारा स्वयं सिविल मटेरियल्स एवं मेसन इत्यादि का क्रय करने के उपरांत उसके सहमति/अनुशंसा से ही इकाई को भुगतान किया जावे। संयंत्र की कार्यशीलता सुनिश्चित करने हेतु बायोगैस सहायक सामग्री जैसे–चूल्हा, गेटवाल्व, पाईप इत्यादि कार्यालय से प्रदाय किये जायेंगें तथा संयंत्र कार्यशील होने के उपरांत शेष अनुदान की राशि को हितग्राही के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से ही विमुक्त किया जाना है। **ध्यान रहे संयंत्र निर्माण मे हितग्राही का कुछ योगदान/अंशदान जरूर रहे। इस प्रक्रिया में बायोगैस संयंत्र निर्माण के गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे तथा MNRE/क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदंड एवं निर्धारित सामग्री के अनुसार ही संयंत्र का निर्माण कराया जाना है।**

नोटः– भुगतान की प्रक्रिया अनावश्यक न हो इस उद्देश्य से संयंत्र निर्माण के समय ही जिला प्रभारी/सहायक अभियंता निरीक्षण कर लेवें जिससे भुगतान ससमय हो सके ।

(ब) **प्री–फेब्रिकेटेड बायोगैस संयंत्र** :– इस मॉडल के संयंत्र प्रदाय/स्थापना का कार्य निर्माता इकाई/अधिकृत डीलर द्वारा किया जावेगा । प्री–फेब्रिकेटेड बायोगैस संयंत्र के साथ बायोगैस सहायक सामग्री भी इकाई द्वारा प्रदाय की जायेगी। गड्ढ़ा खुदाई का कार्य हितग्राही द्वारा किया जावेगा। सफलतापूर्वक संयंत्र कार्यशील होने के उपरांत अनुदान की राशि हितग्राही के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से ही विमुक्त किया जाना है।

नोटः– भुगतान की प्रक्रिया अनावश्यक न हो इस उद्देश्य से संयंत्र स्थापना के समय ही जिला प्रभारी/सहायक अभियंता निरीक्षण कर लेवें जिससे भुगतान ससमय हो सके ।

(4) क्रियान्वयन हेतु टीम का गठन :-

जिला/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्यक्रम के सफल, गुणवत्तापूर्ण एवं लक्ष्य की शत्–प्रतिशत् उपलब्धि हेतु एक कुशल/अनुभवी टीम का गठन किया जावे, जो केवल बायोगैस से संबंधित समस्त कार्य संपादित करेंगें एवं उनका अधिक से अधिक बायोगैस कार्यक्रम में उपयोग किया जाना है। दिशा–निर्देश जारी होने के पश्चात् तत्काल टीम का गठन कर उनका नाम, पदनाम, अबंटित क्षेत्र, मोबाईल नम्बर सहित प्रधान कार्यालय को अवगत कराया जाना है ।

(5) फोटोग्राफ्स का संधारण :–

प्रत्येक बायोगैस संयंत्र का चार चरणों के फोटोग्राफस जैसे–(1) निर्माण के पूर्व स्थल (गड्ढ़ा), (2) संयंत्र निर्माण के प्रगति का, (3) संयंत्र निर्माण पश्चात् संपूर्ण संयंत्र का, (4) संयंत्र कार्यशील उपरांत हितग्राही द्वारा बर्नर में गैस का उपयोग करते हुए, इन समस्त फोटोग्राफ्स को कार्यालय में हितग्राही के फाईल में संधारित होना भी अनिवार्य है । उक्त फोटोग्राफ्स, TKW द्वारा खींचकर कार्यालय में जमा करना होगा। इस हेतु प्रत्येक हितग्राही की सेप्रेट (व्यक्तिगत) फाईल बनायी जानी है ।

(6) आधार एवं खाता क्रमांक का समावेशः–

वित्तीय वर्ष में निर्मित हितग्राही सूची को क्रेडा के वेब–साईट में अपलोड किया जाना है । इस हेतु ANNEXURE-XII के अनुसार ही संपूर्ण जानकारी दर्ज करें तथा इसमें हितग्राही के आधार नम्बर एवं खाता नम्बर के अंतिम 04 अंको का समावेश भी करें ।

Scanned by CamScanner

(7) <u>बायोगैस संयंत्रों की कोडिंगः–</u>

पूर्व वर्षों की तरह ही वित्तीय वर्ष में निर्मित समस्त बायोगैस संयंत्रों का कोडिंग किया जाना अनिवार्य है । इस हेतु संयंत्र पर निर्धारित प्लेट के माध्यम से क्रमानुसार कोडिंग करें तथा कार्यालय के रजिस्टर में भी उसी सिरियल क्रमांक के अनुसार सूची का संधारण की जाना है।

(8) <u>पूर्णता प्रमाण पत्रः–</u>

MNRE के निर्देशानुसार नवीन पूर्णता प्रमाण–पत्र ANNEXURE-XIV के अनुसार वास्तविक हितग्राही के हस्ताक्षर संबंधितों के हस्ताक्षर व सील सहित कार्यालय में संधारित किया जाना हैं। वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत तथा संयंत्रों के कार्यशील होने के पश्चात् जिलों के समस्त मूल पूर्णता प्रमाण पत्र को बाइडिंग कर क्षेत्रीय कार्यालय के वित्त कक्ष में वर्षवार संधारण किया जाना है एवं सभी की छायाप्रति जिले में भी संधारित किया जाना है।

(9) <u>बायोगैस लाभार्थी एवं बायोगैस मेसन प्रशिक्षण कार्यक्रमः–</u>

वर्ष 2018–19 में MNRE से प्रति लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹ 4,000/– एवं बायोगैस मेसन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राशि ₹ 50,000/– का प्रावधान है । अतः जहां संयंत्र निर्माण की संभावना हो ऐसे स्थलों का सर्वेक्षण कर कार्यक्रम संपन्न कराने हेतु प्रधान कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यों को संपादित करें ।

(10) <u>शपथ प्रमाण पत्रः–</u>

(हितग्राही से राशि ₹ 50/– के स्टांप पेपर में शपथ प्रमाण पत्र लिया जावेगा ।)

(अ) नये हितग्राही के यहां बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु बायोगैस आवेदन फार्म के साथ हितग्राही से शपथ प्रमाण–पत्र लिया जावेगा, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि "मेरे घर के परिसर में मेरे या अन्य सदस्य के नाम से संयंत्र नही बना है तथा अन्य विभाग से बायोगैस संयंत्र हेतु अनुदान भी प्राप्त नही हुआ है" । प्रस्तावित संयंत्र पूर्णतः नवीन है तथा इसका निर्माण मेरे द्वारा किया जावेगा । उक्त दी गई जानकारी सत्य है । "यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो क्रेडा को यह अधिकार देता हूं कि वह मुझसे अनुदान की राशि वसूल कर सके" । (संलग्न Annexure-"A")

(ब) यदि हितग्राही के घर में पूर्व में संयंत्र बना है तो शपथ पत्र में पूर्व में निर्मित संयंत्रों का स्पष्ट उल्लेख हो । वर्तमान में जो नया संयंत्र बनाना चाहता है उसका भी उचित कारण तथा पुराने संयंत्र को रिपेयरिंग (डुप्लीकेसी) नही करने के संबंध में शपथ प्रमाण पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाना है । पुराने संयंत्र की पुष्टि कार्यालयीन दस्तावेजों से जिला प्रभारी को किया जाना अनिवार्य होगा । यदि हितग्राही के घर में संयंत्र निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नही हो तो ऐसे प्रकरण में केवल 05 वर्ष पुराने संयंत्रों का पंचनामा बनाकर, संयंत्र को विस्थापित कर नये संयंत्र बनाये जा सकते हैं ।

(11) <u>प्रोसेसिंग शुल्क</u> –

घरेलू बायोगैस संयंत्रों के निर्माण पर प्रोसेसिंग शुल्क हितग्राहियों से लिया जाना है। उक्त प्रोसेसिंग शुल्क हितग्राहियों की सहमति से बायोगैस संयंत्र क्षमता 2/3/4/6 घनमीटर हेतु एकमुश्त ₹ 900/– लिया जाएगा जिसे देय राज्य अनुदान में ही समायोजित किया जा सकेगा ।

Scanned by CamScanner

(12) **टर्न की वर्कर (TKW)-**

(अ) दीनबंधु मॉडलः—पूर्व वर्षों की तरह कुशल एवं योग्य TKW का चयन कर उनका अनुबंध 05 वर्षों के लिये निर्धारित प्रपत्रानुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें । प्रत्येक TKW को न्यूनतम 100 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण एवं स्थापना कार्य करना अनिवार्य है । वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रत्येक बायोगैस संयंत्र (दीनबंधु मॉडल) पर TKW की राशि ₹ 2500/– निर्धारित की गई है । जिसमें संयंत्र कार्यशील होने के पश्चात् प्रथम वर्ष में राशि 1500/– तथा द्वितीय किश्त संयंत्र कार्यशील होने की तिथि से तीन वर्ष पश्चात् राशि ₹ 500/– तथा अंतिम किश्त संयंत्र कार्यशील होने की तिथि से 05 वर्ष पश्चात् राशि ₹ 500/– का भुगतान किया जावेगा। उक्त भुगतान की जानकारी Annexure-"B" में संधारण की जानी है ।

(ब) प्री–फेब्रिकेटेड मॉडलः— प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल बायोगैस संयंत्र पर राशि ₹ 1000/– की दर से manufacturer को भुगतान का प्रावधान है । संयंत्र के कार्यशील होने के उपरांत कार्यशील होने के तिथि से दो वर्ष पश्चात् राशि ₹ 1000/– भुगतान किया जावेगा । इस हेतु निर्माता इकाई से Annuxuer-"C" के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है।

उक्तानुसार TKW का भुगतान नियमानुसार, निर्धारित वर्ष में किया जाना अनिवार्य है तथा इसका विवरण कार्यालय में ANNEXURE-A के अनुसार संधारित किया जाना सुनिश्चित करें । इस हेतु प्रत्येक छः माह में TKW द्वारा संयंत्र का निरीक्षण कर कार्यशीलता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा । वर्ष में 02 बार TKW से कार्यशीलता रिपोर्ट प्राप्त की जाना अनिवार्य है तथा उसी आधार पर ही भुगतान किया जाना होगा । इसका रिकार्ड कार्यालय में हार्ड एवं साफ्ट कापी दोनों में किया जाना होगा तथा प्रधान कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर तत्काल जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें । इस तरह TKW को 05 वर्ष तक निरंतर कार्यशील रखा जाना होगा ।

(13) 05 वर्ष पुराने बायोगैस संयंत्र की मरम्मत :–

MNRE द्वारा पांच वर्ष पुराने बायोगैस संयंत्र पर मरम्मत हेतु "केंद्रीय वित्तीय सहायता" के प्रावधान को वर्ष 2018–19 से समाप्त कर दिया गया है । अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर शत्–प्रतिशत् हितग्राही अंशदान से ही मरम्मत का कार्य कराया जाये तथा इसकी जानकारी प्रधान कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जावे।

(14) बायोगैस सहायकः–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यक्रम की सुचारू संचालन हेतु एक "बायोगैस सहायक" प्रत्येक 300 बायोगैस संयंत्र निर्माण के लिये रखा जाना है । जो TKW एवं कार्यालय से समन्वय कर लक्ष्य के पूर्ति हेतु भरपूर प्रयास करेगा तथा निर्मित होने वाले संयंत्रों के आवश्यक दस्तावेजों का संधारण भी कार्यालय में करेगा । इस हेतु बायोगैस सहायक को प्रत्येक माह मानदेय के रूप में राशि ₹ 9530/– (छ.ग. शासन श्रम विभाग की दर) तथा यात्रा भत्ता अलग से एक मुश्त राशि ₹ 2500/– का भुगतान किया जा सकेगा। इस तरह कुल राशि ₹ 12,030/– प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा सकेगा ।

Scanned by CamScanner

(15) **बायोगैस सहायकों का चयनः–**

ऐसे बायोगैस मेसन जो BDTC इंदौर (MNRE की अधिकृत संस्था) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के प्रमाण–पत्र धारी हों, न्यूनतम 150–200 या इससे अधिक बायोगैस संयंत्र स्वयं बनाने का अनुभव हो, 50 वर्ष से कम आयु, पढ़ना/लिखना जानता हो एवं उसी जिले का निवासी हो जहां संयंत्र बनाया जाना है ।

(16) **प्रोत्साहन राशि :–**

यदि अन्य शासकीय/आशासकीय विभाग/संस्था द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत् कृषकों को प्रोत्साहित कर बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु आवेदन फार्म क्रेडा को प्रेषित किया जाता है तथा संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण होता है तो ऐसे प्रकरणों पर संबंधित प्रोत्साहनकर्ता व्यक्ति/संस्था को प्रति संयंत्र पर राशि ₹ 200/– की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में क्रेडा द्वारा दिया जावेगा। आवेदन फार्म में संबंधित प्रस्तावकर्ता अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिये। प्रस्ताव क्लस्टर में तैयार किया जाना है, एक ग्राम में न्यूनतम 05 प्रस्ताव तैयार किया जाना है, जिससे कार्य करने में सुविधा हो ।

(17) **अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/जिला प्रभारी के कार्य, कर्तव्य तथा निर्देशः–**

"नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम" (NNBOMP) के सफल एवं सुचारू रूप से क्रियान्यवन हेतु निम्नानुसार कार्य, कर्तव्य तथा निर्देश प्रस्तावित हैः–

- नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम (NNBOMP) अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2018–19 में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण कार्य उस जोन के अधीक्षण अभियंता के पूर्णतः उत्तरदायित्व में होगा ।
- अधीक्षण अभियंता/जोनल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी/कर्मचारियों की प्रत्येक माह समीक्षा बैठक की जावेगी तथा उक्त बैठक की जानकारी से प्रधान कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
- अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता को इस कार्यक्रम के प्रति विशेष रूचि लेते हुए दिये गये लक्ष्य की शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करनी होगी।
- क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यपालन अभियंता अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों अंतर्गत कुशल/अनुभवी कर्मचारियों की एक टीम का गठन करेंगें, जो केवल बायोगैस कार्यक्रम के कार्य को संपादित करेंगें तथा गठित टीम का नाम/पदनाम, मोबाईल नम्बर सहित प्रधान कार्यालय को प्रेषित करेंगें तथा कुशल TKW का अनुबंध शीघ्र पूर्ण कराकर उसकी जानकारी भी प्रधान कार्यालय को प्रेषित करेंगें ।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्मित होने वाले बायोगैस संयंत्रों में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता/कमियां पाई जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी उस जोन के अधीक्षण अभियंता /क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यपालन अभियंता/जिला प्रभारी की होगी।
- बायोगैस की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रत्येक माह की 01 तारीख तक (निर्धारित प्रारूप में) क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

- जोनल अधिकारी/अधीक्षण अभियंता द्वारा पुराने निर्मित बायोगैस संयंत्रों एवं इस वित्तीय वर्ष में निर्मित होने वाले कुल संयंत्रों का 10% निरीक्षण स्वयं, कार्यपालन अभियंता द्वारा 25% तथा जिला प्रभारी/सहायक अभियंता द्वारा शत्–प्रतिशत निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।
- अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता को निर्माण सह–रखरखाव, लाभार्थी एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्वीकृति प्रधान कार्यालय से प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे स्थलों पर आयोजित किये जाने होंगे, जहां इनकी उपयोगिता प्रमाणित हो। ऐसे सभी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जोनल कार्यालय द्वारा प्रधान कार्यालय को प्रेषित किये जावेंगे।
- यदि बायोगैस संयंत्र निर्मित हो चुका है तथा हितग्राही के कारण संयंत्र कार्यशील होने में विलंब हो रहा है तो ऐसे प्रकरण में अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता स्वयं के विवेक से TKW को जारी किया जाने वाला प्रथम किश्त राशि का कुछ प्रतिशत भुगतान कर सकते है। संपूर्ण भुगतान कार्यशील होने पर ही किया जावेगा।
- MNRE के निर्धारित प्रपत्र (15 कॉलम) में वार्षिक सूची, मय हितग्राही फोटोग्राफ प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(18) **प्रधान कार्यालय द्वारा औचक निरीक्षणः–**

विगत कुछ वर्षों की उपलब्धि एवं सभी क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों के निराशाजनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों तथा अन्य संस्था के माध्यम से किसी भी क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों के अंतर्गत संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया जावेगा। यदि उक्त निरीक्षण के दौरान बायोगैस संयंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की कमियां/अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्रीय/जिला कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 में बायोगैस संयंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की कमियां/अनियमितता पाई जाती है तो इसकी समस्त जवाबदारी उस जोन के अधीक्षण अभियंता की होगी।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

(एस.एम.देशपांडे)
मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner

(Annexure-A)

शपथ प्रमाण–पत्र

(राशि ₹ 50/– के स्टांप पेपर में भरा जावे)

(अ) मैं .... पिता/पति श्री ....निवासी ग्राम–.......... ....पोस्ट–............................... तहसील–.................................... जिला– .... का निवासी हूं । मेरे घर के परिसर में एक नवीन घरेलू बायोगैस संयंत्र क्षमता ....घनमीटर का निर्माण करवाना चाहता हूं । इस प्रस्तावित संयंत्र के पूर्व मेरे घर के परिसर में मेरे परिवार के अन्य सदस्य के नाम से "बायोगैस संयंत्र" का निर्माण नही हुआ है तथा किसी भी विभाग से अनुदान के रूप में कोई राशि प्राप्त नही हुई है ।

(ब) इस प्रस्तावित नवीन संयंत्र के पूर्व मेरे घर के परिसर में मेरे परिवार के अन्य सदस्य के नाम से .... नग बायोगैस संयंत्र का निर्माण हुआ है । वह संयंत्र नाम.. ...पिता/पति .... ग्राम ....विकासखण्ड .... जिला .... क्षमता ....घनमीटर, वर्ष .... में निर्मित हुआ है तथा राज्य शासन/क्रेडा से राशि रू. ....का अनुदान भी प्राप्त हुआ था ।

(स) उक्त क्षमता के संयंत्र निर्माण हेतु मेरे घर में पर्याप्त मवेशी/गोबर उपलब्ध है तथा संयंत्र निर्माण होने के पश्चात् निरंतर कार्यशील रखने की जवाबदेही मेरी होगी ।

(द) उक्त नवीन संयंत्र निर्माण हेतु दी गई जानकारी वास्तविक एवं सत्य है । निर्माण हेतु प्रस्तावित संयंत्र पूर्णतः नवीन है एवं इसका नवीन निर्माण भी मेरे द्वारा कराया जावेगा । पुराने संयंत्र का किसी प्रकार से डुप्लीकेसी नही की जावेगी ।

यदि भविष्य में उक्त दी गई जानकारी/संयंत्र का निर्माण गलत पाया जाता है तो क्रेडा को यह अधिकार देता हूं कि मुझसे अनुदान की राशि वसूल कर सके ।

शपथकर्ता

दिनांक ....

नाम– ....

गवाह : (1)

पता– ....

गवाह : (2)

....

....

Scanned by CamScanner

Annexure-B

Biogas Plant payment status year-2018-19

S.N.	Beneficiary Name/Fathers name	Village	Block	District	Date of plant installed	Date of plant Commissioning	Total Subsidy (Central / State)	All biogas material + masson cost	Balance Subsidy	If Balance Subsidy paid give, details with date & mode	TKW Payment Staus		
											1st Installment (@1500)	2nd Installment (@500)	3rd Installment (@500)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

TKW payment status year-2018-19

S.N.	TKW name	District	Total nos. of plant constructed	1st Installment (@1500)	2nd Installment (@500)	3rd Installment (@500)
1						
2						
3						
4						
5						
Total						

Scanned by CamScanner

(Annexure-C)

CERTIFICATE

It is certified that Pre-fabricated biogas of sintex make installed and commissioned are having useful life for 10 years. Every plant has warranty card maintaining that the plant has been manufacturer by using standard virgin materials only and are uv stabilized having no foxing danger of any kind has been tested as per MNRE approval procedure of Biogas plants.

Date:

Manufacturer

Name –

Seal –

Scanned by CamScanner

प्रोसेसिंग शुल्क हेतु सहमति

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक..आत्मज/पति............................ ग्राम.................................. पोस्ट .... तहसील .... जिला .... (छ.ग.) का निवासी हूं । मै अपने निवास स्थान में दीनबंधु मांडल/प्री–फेब्रीकेटेड मांडल के बायोगैस संयंत्र क्षमता.......... (2/3/4/6) घनमीटर का स्थापित कराना चाहता/चाहती हूं, जिसके लिये शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹ 900/– (अक्षरी–नौ सौ रू. मात्र) मुझे देय राज्य अनुदान राशि में से समायोजित किये जाने हेतु क्रेडा को सहमति प्रदान करता/करती हूं ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

दिनांक ....

पता..

....

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-XII

New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOMP)

Village, District and Year-wise and beneficiary-wise detail of beneficiaries of the family type/ Small biogas plants to be displayed on the websites of the respective SND, SRDDs and KVIC and other concerned organizations and for putting on Notice Boards of concerned Village Panchayat/Gram Panchayat.

1. Name of State/UT : ______________
2. Name of the SND/ KVIC of the State : ______________
3. Block/Taluka : ______________
4. District : ______________
5. **Report on website for the year** : ______________
6. **Total nos. Biogas Plants reported as complete in all respect** : ______________
7. **Date of putting the list on web-site** : ______________
8. Particulars of the beneficiaries viz:

Sl. No.	Name / Father's name / Husband's name of beneficiary	Full address (village, block, district and state and contact number of beneficiary)	Category of the beneficiary, General/ SC/ST/ Others	Nos. of family members	Nos. of cattles owned	Size and Model of biogas plant and unique identification mark/ code number of the biogas plant	Date of commissioning of biogas plant	Amount of subsidy paid (in Rs.)		Date and amount of subsidy disbursed through DBT and Aadhar number and bank account number last 4 digit	Whether plants installed on Turn Key basis. if yes, name and address of registered Turn Key Agency/ Worker/ RET & mobile number	Name of the Plant work supervising Officials of the SND/ SNA/ KVIC who also verified the completion of biogas plant for signing the Completion Certificate	Whether ISI marked biogas stove provided. Yes/No	Photograph of the real beneficiary with the commissioned biogas plant (three photos of three different stages of construction & commissioning to be kept in the record along with Geo-tagging of Biogas Plant
								MNRE subsidy	State Subsidy (if any)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Scanned by CamScanner

COMPLETION CERTIFICATE OF BIOGAS PLANT UNDER THE NNBOMP

(Fill in Block Letters)

This is to certify that the NNBOMP Implementing State Nodal Department i.e. State Rural Development Department/ KVIC/ BDTC (as applicable) has set up a Biogas Plant of .... cubic metre capacity (Cu. M. /day) bearing the Unique Code No.....................and entered in the Master Register at Entry Serial No........................of the FY.......... with sanitary toilet attached/not attached ....and...........................manure..................pits..... has been commissioned in all respect at & for the Biogas Beneficiary Name Shri/Smt............................ Panchayat.........................Ward No............................ House No................Village........ Post................................Block..........................Taluk.....................District........... ....State.. which has been constructed under the supervision of (Name of the Officer.................... and designation of the Officer....................) and the plant has been commissioned to the full satisfaction of the above mentioned beneficiary.

We all undersigned certify that the biogas plant is working satisfactorily from the date........................ and the CFA/Grant/loan for this plant was received in the year 20........................ through ....(full name and address of the RD Deptt/KVIC/ Bank/Agency). The Biogas Plants constructed is of Fixed Dome/Floating Gas holder/Bag Type Flexi Model of the approved models of MNRE named as .... Model. The subsidy amount claimed for the biogas plant is Rs... being paid to the actual beneficiary upon acceptance of this C.C. by the Higher Authorities of the Main Programme Implementing Deptt./KVIC or BDTC following the DBT route

Date of Commissioning of Biogas Plant:

Date of issuing completion certificate of Plant:

Signature/TI of the Actual biogas Plant Owner	Signature of the PIA/TKW/RET/ BM	Signature of the concerned Officer of the SND/KVIC/PIA/ BDTC etc authorized to sign the C.C. With official seal

Signature of Two witnesses

1) (Neighbor of the beneficiary)

2) (Gram Panchayat member/Sarpanch)

Counter Signature with Official seal of the Higher Level Officer of the Rural Development Deptt./KVIC/BDTC etc as applicable

***

Scanned by CamScanner